# महिलाओं मे राजनीति के प्रति जागरूकता एवं सशक्तिकरण का एक अध्ययन

**डॉ० शिवानी**
*राजनीतिशास्त्र विभाग*
*डी०ए०वी० सैन्टनरी कॉलिज, फरीदाबाद*
*ईमेलः shivanitanwar1973@gmail.com*

***सारांश***

*महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक प्रस्थिति में सुधार करने तथा इन्हें विकास की मूलधारा से जोड़ने के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों के संचालन को स्थापित किया गया हैं। स्थानीय प्रबंधन का दायित्व जनता को सौंपने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत स्वशासन की अवधारणा ने जन्म लिया। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किये जाने का उद्देश्य एक ओर जन प्रतिनिधि को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाने की भावना है वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता को अपने विकास के अवसर मुहैया कराना है। समाज में बराबर की भूमिका निभाने वाली इस शक्ति को कमजोर आंका गया। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायतता है। सशक्तिकरण का अर्थ, किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है। नारी का शक्ति संपन्न होना केवल उसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि बच्चों एवं पुरुषों का जीवन भी लाभान्वित होता है।*

***मूल बिन्दु***

*विकेन्द्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, पंचायत, स्थानीय स्वशासन आदि।*

Reference to this paper should be made as follows:

**Received: 09.09.2022**
**Approved: 17.09.2022**

**डॉ० शिवानी**

महिलाओं मे राजनीति के प्रति जागरूकता एवं सशक्तिकरण का एक अध्ययन

*RJPP Apr.22-Sept.22, Vol. XX, No. II,*

*pp.343-351*
*Article No. 45*

***Online available at*** *:*
https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-2

**प्रस्तावना**

2 अक्टूबर 1959 को पं0 जवाहर लाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ किया गया तत्पश्चात् इसे इसी वर्ष आन्ध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। कुछ ही वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों (केरल, जम्मू कश्मीर व नागालैण्ड को छोड़कर) में लागू कर दिया गया। पंचायती राज एवं उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा किया गया जो ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2009 को पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आरक्षण के फलस्वरुप महिलाएँ निश्चित तौर पर सत्ता में आयी। भले ही अभी महिलाओं की संख्या बहुत कम है लेकिन फिर भी उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है जिससे परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना में बदलाव आ रहा है परंतु इनके अशिक्षित होने के कारण महिलाओं की भागीदारी अधिकांश मामलों में अनियमित, निष्क्रिय तथा अप्रभावी है।

आज भारतीय समाज में महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। संविधान लागू होने के उपरान्त जब यह घोषणा की गयी कि राज्य व्यक्तियों में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, तब उसके बाद महिला मुक्ति के लिए आन्दोलन चले। अब यह बराबर कहा जाने लगा है कि समाज में पुरूष और महिला समान है और इनके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक रूप में आज भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है परन्तु इतना अवश्य है कि पहले की अपेक्षा कुछ भेदभाव कम हुआ हैं। मार्क्स और ऐंजिल्स ने इन्हें निजी सम्पत्ति के रूप में प्रस्तुत किया परन्तु विडम्बना तो यह है कि उत्तर–आधुनिक काल के दौर में पुनः महिलाओं का अन्य वस्तुओं जैसे ज्ञान के साथ सौदाकरण हो रहा हैं। महिला समालोचकों में एक प्रमुख नाम सिमोन दी बुआ का आता हैं जिन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक 'दी सेकेण्ड सेक्स' (1957) में महिलाओं की उपेक्षाओं का वर्णन किया है। बुआ का यौन सम्बन्धी अन्य महिलावादी विचारकों से भिन्न एक समग्र विश्लेषण है जिसे वे अस्तित्त्ववादी के रूप में देखती हैं। इसी प्रकार फ्रॉइडमैन इसे महिला त्रुटि के रूप में देखते हैं। बुआ ने पुरूष आधिपत्य की जड़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया तो वहीं फ्रॉइडन ने यह स्पष्ट किया कि किन कारणों से महिलाएँ स्वयं को अधिनस्थ एवं पुरुषों के तुलना में हीन समझती हैं।

महिलायें जीवन में उच्चतम, भौतिक, सामाजिक–आर्थिक साधनों को प्राप्त करना चाहती हैं, जिससे वे अपने जीवन में अच्छे स्तर को प्राप्त कर सकें। उन्हे अपने जीवन में सामाजिक परिस्थितियों के माध्यम से अच्छे स्तर को प्राप्त करने में सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराओं का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण अच्छे स्तर की उपलब्धता में बाधकता उत्पन्न होती है। पुरातन समाज एवं आज के समाज में बहुत अंतर है। पहले जहाँ सीमित आवश्यकतायें थी व उनकी पूर्ति के साधन भी सीमित थे, पर आज तीव्र परिवर्तनों ने साधनों में प्रतिकूल बढोत्तरी की है, वहीं आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है।

**अध्ययन की उपादेयता**

नई पीढ़ी की एक बड़ी त्रासदी यह है कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसरण के कारण हम भौतिक रूप से तो विकसित हो चुके हैं लेकिन आज भी परम्परागत सोच महिलाओं के प्रति हमारे मस्तिष्क में जड़ जमाऐ हुए हैं, जहां आज हम सूचना क्रांति के दौर में जीवन–यापन कर रहे हैं। यदि वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक विचारधारा के प्रभाव का व्यक्ति के जीवन में व्याप्त अनियमित्ताओं एवं अस्वस्थता के कारणों का पता लगाया जा सकता है, तो उनके निवारण का भी प्रयास किया जा सकता है। यह भी ज्ञात किया गया है कि वर्तमान समाज में सामाजिक विचारधारा के किस स्वरूप का सर्वाधिक प्रभाव सामाजिक संरचना पर पड़ता है, जिसमें महिलाऐं आज समाज की मुख्य धारा में तेजी से सम्मिलित होती जा रही हैं। क्या वास्तविक तौर पर वे आत्मनिर्भर हो रही हैं या आज भी पुरुष प्रधान की सोच के अधीन कार्य करने को मजबूर हैं।

**सत्ता का विकेन्द्रीकरण**

राजनीतिक सहभागिता, जनसाधारण की उन गतिविधियों का समूह है, जो विधि के सृजन का आधार निश्चित करती हैं। स्मिथ का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिणामों को प्रभावित करना या प्रभावित करने की चेष्टा रखते हुए किये जाने वाले सभी कार्य–कलाप, राजनीतिक सहभागिता की श्रेणी में आते हैं। मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलायें हैं, ये एक प्रकार से देश की राजनीतिक, आर्थिक सम्प्रभुता एवं संपदा की बराबरी की हिस्सेदार हैं। अतः देश की प्रगति का आँकलन करने के लिए उन सभी के सकारात्मक परिवर्तनों को देखना आवश्यक होता है, जो देश के मानव संसाधनों की सूची में दर्शित हैं। यद्यपि संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है और जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिला–पुरुष को सहभागी रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हैं और इस क्षेत्र में उनकी सहभागिता नगण्य है, भले ही पंचायती राज संस्थाओं में उनकी सहभागिता बढ़ी है। भारतीय नारी की सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का परिणाम है कि स्त्री–पुरुष संबंधों से जुड़े अनेक सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है।

**महिला सशक्तिकरण**

पिछले तीन दशकों से भारत में महिला सशक्तिकरण सबसे ज्वलंत मुद्दा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं भारत में इसके लिये कुछ प्रयास भी किये गए, कुछ प्राथमिकताएँ भी तय की गई लेकिन वह अधर में ही रही है। महिला एवं पुरुषों की बीच असमानताएँ एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव कई वर्षों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यह समानता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनैतिक, अस्तित्व को लेकर है। वैसे तो 21 वीं सदी के भारत में कई महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ एक शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। भले ही वह सरकारी, अर्ध सरकारी, आधुनिक क्षेत्र हो या फिर खेल जैसा क्षेत्र जिसमें महिलाओं का विश्व में शीर्ष स्थान है। लेकिन यह कुछ उदाहरण मात्र ही है। संख्या की दृष्टि से देखें तो यह नगण्य ही है।

आज दुनिया भर में महिलाओं के लिए नए आयाम खोले जा रहे हैं ये सब कोशिशें ऐसे समाज के निर्माण के लिए हैं जिसमें पुरुष एवं महिलाएँ समानता का उद्धहरण प्रस्तुत करें और एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ लिंग भेद के नाम पर किसी पर भी अत्याचार न हो खासकर महिलाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनेको प्रयास भी किये जा रहे हैं। गौरतलब बात है कि जहाँ दुनिया भर के देश अब अपनी बढ़ाई आर्थिक सम्पन्नता से लेकर तकनीकी जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करने तक में लगी है, वहीं कुछ ऐसे भी सच्चाईयाँ हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि ये सम्पन्नता सही मायनों में हासिल नहीं हुई है। किसी भी समाज की उन्नति उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति से तय होती है ऐसे में अगर सामाजिक समानता का आधार किसी पुरुष या महिला होने से संबंधित है तब यह गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है। भारत में लिंगानुपात की बात करें जो सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिला है। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएँ हैं। वही अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 949 है। लेकिन जहाँ हम अपने आपको शहरों में रहते हुए आधुनिकतावादी और पढ़ा लिखा मानते हैं यह अनुपात 929 है, जो हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इसका सीधा कारण बेटियों के प्रति अस्वीकार्यता है, जिसमें भ्रूण हत्या भी शामिल है।

महिला सशक्तिकरण के लिए जिस मंशा से प्रयास किए गए उसमें कहीं न कहीं भूल अवश्य है क्योंकि इसमें पुरुषों से आगे निकलने की होड़ उनकी बराबरी करने की मुहिम शामिल रही है। जबकि होना यह चाहिए था कि वे अपनी भूमिका अपनी जरूरतों, गरिमा व आत्मसंतोश के मुताबिक तय करती तथा पुरुषों की बराबरी करके अपनी बुनियाद को मजबूत करती। अगर हम गौर से देखें तो पायेंगे की इस व्यवस्था में स्वतंत्रता व स्वच्छन्दता के मध्य भेद को न समझते हुए विरोध व ईर्ष्या पथ का अंधानुकरण किया गया है जिसकी बुनियाद अति महत्वाकांक्षा की सिद्धी पर रखी हुई है। इसके लिए महिला समुदाय आधुनिकता के नाम पर चाहे–अनचाहे समझौतें भी करने से कोई गुरेज नहीं करता। दिखावे की इस चाह में उनकी दशा जोश में होश खो देने जैसी हो चली है। सशक्तिकरण से तो उन्हें अपनी निहित क्षमताओं को निखारना था जबकि उन्होंने तो वह किया जो पुरुष वर्ग करता रहा है शायद यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी वह कर सकते हैं जो वह करता है। ठीक है इससे पुरुषों के एकाधिकार को तो चुनौती मिली किन्तु उनकी (महिलाओं) की कुशलताओं में जो निखार आना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं हो सका। स्त्री पुरुष समानता उनकी नजर में अहम थी किन्तु प्रयासों की दिशा में उनका अहिंसक विचार अडिग था जिसमें अंधी होड की जगह विवेक, ईर्ष्या की जगह प्रेम व हृदय परिवर्तन का ही घटक दृढता व प्रतिबद्धता से विद्यमान था।

आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से स्त्रियों ने इतनी तरक्की अवश्य कर ली है कि वे समाज, परिवार और घर में अपना विशिष्ट स्थान बना सकी है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ स्त्रियों ने अपना परचम न लहराया हो। चाहे खेल हो या राजनीतिक, सामाजिक हो या आर्थिक क्षेत्र हो। किसी भी विभाग चाहे शिक्षा, प्रबंध, प्रशासन, बैंक या शासन उसने अपनी शक्ति और ताकत का लोहा ना मनवा लिया है। स्व. प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, मार्टेट थेचर, श्रीमती भण्डार

नायके, बैनजीर भुट्टो, कल्पना चावला, नुरजहाँ, मधुबाला, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम से लेकर सानिया मिर्जा तक सफल सैकड़ों ऐसी स्त्रियां है जिन्होंने अपनी क्षमता अपनी कला और अपने आत्मबल से उस उच्चतम स्थान को प्राप्त किया है। सशक्तिकरण के लिये आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना आवश्यक है। महिलाओं को जागरूक और साहसी बनाने के लिये शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक है। इस दौर में महिलाओं ने "कारपोरेट" जगत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। स्वावलंबन महिला में स्वाभिमान पैदा करता है। स्वाभिमान से चेतना आती है और चेतना से सामर्थ्य का निर्माण करती है। इसलिये महिलाओं में आत्मनिर्भरता होना आवश्यक है।

इतिहास से लेकर आज के आधुनिक युग तक अगर नजर डाले तो भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है, बदलते समय के साथ साथ स्त्रियों ने भी पुरुषों के सामान ही हर क्षेत्र में तरक्की की है, जिस पर कभी पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था जैसे– राजनीति, प्रशासनिक सेवाएँ, कार्पोरेट, खेल इत्यादि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के अच्छी कार्य क्षमता एवं बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज भी हमारे समाज में स्त्रियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं उन्हें अत्याचार एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है, वैसे तो सरकार ने महिला योग जैसे संस्थानों का निर्माण कर रखा है, पर सभी के लिए उसका लाभ उठा पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि महिलाओं के लिये बने कानून एवं अधिकारों की जानकारी का अभाव भी इसका मुख्य कारण है। सरकार को चाहिए वे महिलाओं को अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध बने कानून एवं अधिकारों से अवगत कराए जिससे की अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सके और अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। इसके अलावा भारतीय समाज में पुरुष महिलाओं के प्रति अपनी सोच में बदलाव लायें ताकि किसी भी महिला को पुरुष प्रधान समाज एवं संस्थान में कार्य करने में असुविधा महसूस न हो। आज के समाज में अगर हम महिलाओं के योगदान एवं तरक्की की बात करें तो इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है एक दिहाड़ी मजदूर की लड़की ने सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर एअर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी प्राप्त कर ली है, ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है।

**भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति**

देश की राजनीति में आज जिस प्रकार की विषमतायें व समस्यायें बढ़ रही है जिसमें भ्रष्टाचार, अपराध का राजनीतिकरण व राजनीति का अपराधीकरण प्रमुख है। ऐसी स्थिति में महिला जो त्याग, सेवा, सहयोग, प्रेम, करूणा व कर्तव्य परायणता की पर्यायवाची है। वह समाज सेवा को अपने हाथों में लेती है व देश की राजनीति में जिम्मेदारी से सक्रिय योगदान देती है तो यह एक अच्छी बात है एक सुखद अनुभूति है जिसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति को इन समस्याओं से निजात मिलने की सम्भावना देखी जा सकती है। यह स्पष्ट है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, उन्हें आर्थिक समानता का वातावरण उपलब्ध कराया जाय। आर्थिक रूप से सबल व सशक्त महिला भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम होगी। फलतः महिला सशक्तिकरण की धारणा वैधानिक व वास्तविक दोनों ही अर्थों में सफल हो सकेगी। जहाँ एक स्तर

पर महिलायें पुरूषों का मुकाबला कर रही है वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट कार्यप्रणाली में सुधार लाने की कोशिश में भी तत्पर है। इसके अलावा वह कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना हुनर दिखा रही है जैसे स्कूल चलाने व उसके रख–रखाव का कार्य, गरीबों के घरों में बिजली पहुँचाना एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जबाब माँगना आदि । यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्वाचित महिलाओं पर अन्य तरीके के दबाव भी है जहाँ पर निर्वाचित महिलायें पूर्व प्रधानों की पत्निया, बहुए है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ी है ऐसी स्थिति में उन्हें कई प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ रहा है। इससे एक कार्यप्रणाली के पुराने तरीकों को बरकरार रखना, जैसे; रिश्वत देना, व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना आदि। इस प्रकार के दबाव तो है ही, साथ ही साथ निर्वाचित महिलाओं का पत्नी, माँ, बेटी की भूमिका भी बखूबी निभानी पड़ती है।

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई। जिसका अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायतता है। सशक्तिकरण का अर्थ, किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराना है, ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष–महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से भी है क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। महिला सशक्तिकरण का आयाम नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है। महिलाओं को घर और बाहर दोनों में सुरक्षित करना है जिससे उन्हें जागरूक कर शक्तिशाली बनाया जा सके। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है। 36 नारी का शक्ति संपन्न होना केवल उसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि बच्चों एवं पुरुषों का जीवन भी लाभान्वित होता है। इस बात के बहुत स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि नारी साक्षरता वृद्धि से बालकों एवं बालिकाओं दोनों की जीवन–आशा में सुधार होता है। इसके विपरीत नारी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े उत्तरी राज्यों में जीवन–आशा के स्तर भी बहुत निम्न पाये जाते है।

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मुलभूत और पहला साधन है। अब यह माना जाने लगा कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर उसे आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यों को संपन्न करने के योग्य बनाती है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है।

समानता विकास सशक्तता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की हर निर्णय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय निकायों, सलाहकार समितियों, कमीशन, बोर्ड, ट्रस्ट आदि सभी में महिलाओं की भागीदारी नीति के माध्यम से सुनिश्चित करानी चाहिए। महिला विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में महिलाओं से उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं संबंधी राय न लिये जाने के कारण योजनाओं का आवश्यकतानुरूप

निर्धारण नहीं हो पाता है। अतः ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे हर निर्णय व नीति निर्माण स्तर पर व उसके क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

**महिलाओं की सहभगिता मे चुनौतियाँ**

संवैधानिक रूप से प्रारम्भ की गई विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व भले ही सुनिश्चित किया है। लेकिन मात्र प्रतिनिधित्व, सहभगिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पारंपारिक, सामाजिक बंधनों, लोक–लाज, छोटे–बड़े के लिहाज, आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी, शैक्षिक पिछड़ापन, पारिवारिक दायित्व, समयाभाव से जूझती महिलाओं के लिए अवसर मिलने पर भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता निभा पाना सहज संभव नहीं है। फलतः महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है, प्रधान पति का अस्तित्व इस तथ्य का प्रमाण है। आज भी महिलायें अपनी बात प्रभावी ढंग से पंचायत में रखने में असमर्थ है और पंचायतें सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के सरोकारों पर समुचित ध्यान नहीं दे पा रही है।

किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब उस समाज में रह रही महिलाओं को विकास में बराबरी की भागीदारी मिले। हमारे समाज में महिलाओं की संख्या कुल आबादी के लगभग आधी है। ऐसे में महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में जोड़े विना किसी भी देश, राज्य व क्षेत्र के विकास की कल्पना करना राज्य, समाज व क्षेत्र के साथ छलावा (अव्यवहारिक) है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने महिलाओं को विकास में प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम चलाये। चाहे महिला सशक्तिकरण का नारा कितना आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि अधिकांश महिलाओं के लिए अपनी क्षमता और प्रतिभा के विकास की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। यदि महिला–पुरुष के विकास को लैंगिक आधार पर जाँचा जाए तो स्पष्ट विषमता नजर आती है। महिलाओं के विकास हेतु भारतीय संविधान में नियोजित विकास की रणनीति, कानूनों आदि की प्रतिवद्धताएँ तो व्यक्त की गई है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य ध्येय महिलाओं का पहुँच उन साधन संसाधनों व सत्ता तक समानता के साथ संभव बनाना है जिनका उन्हें मानवीय रूप से अधिकार है, उन्हें उन कुरिवाजों व सामाजिक जड़ बंधनों से मुक्ति पाने हेतु सामर्थ्यवान बनाना है जिसके बारे में वे महसूस ही नहीं कर पा रहीं या अंजान हैं एवं जिनके चलते उनका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हुआ है, जो उनके शोषण का सबब बनी हैं।

स्त्री व पुरुष समाज रचना की गाड़ी दो पहिए हैं जब तक ये दोनों पहिए सहजता, समता, समानता के साथ एकाकार होकर आगे नहीं बढ़ते तब तक वांछित प्रगति व खरा विकास संभव नहीं है। उन दोनों के समान रूप से गतिशील रहने से ही समाज का विकास व उत्थान संभव है। राष्ट्र मनीशी स्वामी विवेकानन्दजी का कथन है कि ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।'' स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और प्रबुद्ध चिंतक पंडित जवाहर लाल नेहरू का मत रहा है कि ''नारी के बिना समाज अधूरा है, देव पुरुषों एवं महात्माओं की जननी महिला सबसे ज्यादा सम्मान की हकदार है।'' वे आगे कहते हैं कि यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति

पैदा करो, एक बार जब वे आगे बढ़ती है, तो परिवार आगे बढ़ता है फिर उससे समाज, गाँव, शहर और सारा देश आगे बढ़ जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाने वाला महिला दिवस इस बात का समर्थन करता प्रतीत होता है कि महिलाओं की स्थिति दयनीय है जिसके लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। समाज रचना एवं इसके संवर्धन में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता फिर इस वर्ग की लाचारी की तरफ मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। आज महिलाओं के साथ कई स्वरूपों में अमानवीय व्यवहार होता है, शोषण होता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनकी स्वाभाविक स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता है, शिक्षण, स्वास्थ्य और आजीविका आदि के क्षेत्र में भेदभाव रखा जाता है, स्थापित कुरीतियों की आड़ में घरेलू हिंसा व अत्याचार का किया जाता है। हमारी जड़ परंपराएं भी उसे खूटे से बंधी गाय के रूप में देखती हैं जिसका मालिक उसे महज एक भावनाशून्य वस्तु समझकर अपनी मर्जी के मुताबिक एक डंडे से हाँकते हुए उसके पशुवत व्यवहार करने का अधिकार ग्रहण किए रहता है, सारा काम भी उसी से लेता है और उसको स्त्रियोचित सम्मान भी नही देना चाहता अपितु मालिकी का भाव जताकर अपने झूठे अहम् की तुष्टि करते हुए उसे ता उम्र प्रताडित करता रहता है।

**निष्कर्ष**

देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें अबला, कमजोर से सबला और समर्थ सिद्ध कर दिया है। आज की रोल मॉडल इन्दिरा नूयी, ओपरा विनफ्रे, किरण देसाई, नैंसी पिलोसी, हिलेरी क्लिंटन जैसी महिलाऐं हैं वैश्वीकरण ने आधुनिक युवा महिलाओं को Global Citizen बना दिया है जो आत्म निर्भर, स्वनिर्मित आत्म विश्वासी है जिसने पुरुष प्रधान, चुनौतिपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। कॉर्पोरेट आधारित कृषि ने महिलाओं को उनकी खाद्य उत्पादन और खाद्य प्रस्संकरण की जीविका से बेदखल करने का काम किया है। रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने महिलाओं को विकास में प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम चलाये। समाज में लिंग आधारित भिन्नता को दूर करने के लिए महिला कल्याण की नीति अपनायी। बाद में यह प्रयास महिला विकास तक पहुँचा और अब महिला सशक्तिकरण का नारा सामने आया। सुनने में चाहे महिला सशक्तिकरण का नारा कितना आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि अधिकांश महिलाओं के लिए अपनी क्षमता और प्रतिभा के विकास की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। यदि महिला–पुरुष के विकास को लैंगिक आधार पर जाँचा जाए तो स्पष्ट विषमता नजर आती है। महिलाओं के विकास हेतु भारतीय संविधान में नियोजित विकास की रणनीति, कानूनों आदि की प्रतिबद्धताएँ तो व्यक्त की गई है। वस्तुतः किसी भी समाज के सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक विकास में पुरूष और महिला दोनों की ही समान भूमिका होती है। इसलिए जब सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की चर्चा की जायेगी तो उसमें पुरूष वर्ग के साथ ही महिला वर्ग के योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि किसी भी क्षेत्र अथवा राज्य की जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग अर्थात महिलाओं को विकास में सम्मिलित किये बिना स्वस्थ एवं सुखमय समाज की कल्पना नहीं

की जा सकती है। समानता विकास सशक्तता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की हर निर्णय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। किसी भी राश्ट्र की संस्कृति तथा उसका इतिहास और भाव–भाषा वहाँ की महिलाओं के विकास, प्रगति और समृद्धि में परिलक्षित होता है। महिलायें समाज की रचनात्मक शक्ति है। उनके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है। समाज की व्यवस्था–अव्यवस्था, नागरिक दायित्वों की दृढ़ता या उपेक्षा, आत्मशक्ति की दृढता या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। वर्तमान में स्त्रियों के मध्य से एक बड़ा भाग अपनी संवादहीनता, संवेदनशीलता भीरूता एवं संकोचशीलता से मुक्त होकर सुदृढ़ समाज में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रस्तुत है।

**संदर्भ**


1. द्ववेदी, रमेश प्रसाद. (2013). भारत में जेण्डर बजट महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम. *भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका.* वर्ष–पंचम. अंक–द्वितीय. अगस्त–सितम्बर।
2. बसु, दुर्गादास. (2002). भारत का संविधानः एक परिचय. वाधवा एण्ड कंपनीः नई दिल्ली।
3. मिश्रा, रंजना. (2013). भारत में नारीः राजनीतिक परिवर्तन. कैलाश पुस्तक सदनः भोपाल।
4. सिंह, योगेंद्र. (1999). भारत में सामाजिक परिवर्तन, संकट और समुत्थानपरकता. जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्सः नई दिल्ली।
5. सिंह, निर्मला. (2011). पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण. द्वारा वर्मा, सवालिया बिहारी. *ग्रामीण महिला उत्थान.* यूनिवर्सिटी पब्लिकेशनः नई दिल्ली।
6. तिवारी, जयकान्त. (2003). भारत का समाजशास्त्र. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थानः लखनऊ।
7. पाटक, ममता. (2013). महिलायें और विकास (दशा, दिशा एवं संभावनाये) रजना मिश्रा द्वारा सम्पादित पुस्तक भारत में नारी राजनीतिक परिवर्तन. कैलाश पुस्तक सदनः भोपाल।
8. राधाकृष्ण. (2009). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका : समस्या एवं समाधान. *भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका*।
9. सारस्वत, ऋतु. (2015). महिला सशक्तिकरण आरक्षण से आगे. हिन्दुस्तान. 30 अप्रैल।
10. दोशी, एस0एल0., जैन, पी0सी0. (2013). भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन. नेशनल पब्लिशिंग हाउसः जयपुर, दिल्ली।
11. वर्मा, मनोज. (2015). पंचायती राज और सामाजिक रूपान्तरण. अप्रकाशित, शोध प्रबन्ध. समाजशास्त्र विभाग. का०हि०वि०वि।
12. अली, सादिक. (1964). पंचायती अध्ययन दल रिपोर्ट. पंचायत एवं विकास विभाग राजस्थान सरकारः जयपुर।